दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 12-09-2025

सुनवाई • गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के स्टूडेंट्स का प्रवेश नवोदय विद्यालय ने किया निरस्त

स्कूल को ग्रामीण से शहर में शामिल करने पर दाखिला रद्द हाई कोर्ट बोला- बच्चे का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने 12 वर्षीय छात्र को मल्हार के नवोदय विद्यालय में दाखिले का आदेश दिया है। स्कूल प्रबंधन ने छात्र का प्रवेश इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि उसने शहरी क्षेत्र के स्कूल से पांचवीं तक की पढ़ाई की थी, जबकि उसने सेजेज, मरवाही से परीक्षा पास की थी। यह पहले ग्रामीण क्षेत्र में आता था, लेकिन कुछ दिनों पहले उसे शहरी क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। हाई कोर्ट ने नवोदय विद्यालय, मल्हार के प्राचार्य को छात्र को सत्र 2025-26 कक्षा 6वीं में में तुरंत प्रवेश देने के आदेश दिए हैं।

नवोदय विद्यालयों के नियमों के अनुसार ग्रामीण कोटे से प्रवेश लेने के लिए छात्र को तीसरी, चौथी और पांचवीं तक की पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से करनी होती है। मरवाही निवासी 12 वर्षीय अनुकल्प गुप्ता ने शर्त पूरी करने के बाद प्रवेश परीक्षा पास की थी। उसका नाम चयन सूची में भी था। लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान स्कूल प्रबंधन को पता चला कि उसका स्कूल अब शहरी क्षेत्र में आ गया है, इस आधार पर उसे एडमिशन देने से इन्कार कर दिया गया।

हाई कोर्ट ने कहा- छात्र मेधावी है, भेदभाव गलत

मामले पर जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने बच्चे की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि बच्चा पढ़ाई में मेधावी है और उसने तीसरी से पांचवीं तक की पढ़ाई उसी स्कूल से की है जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में शामिल था। राज्य सरकार की अधिसूचना के कारण स्कूल का दर्जा ग्रामीण से शहरी में बदला गया है, इससे उसके अधिकार खत्म नहीं किए जा सकते। किसी बच्चे को तकनीकी कारणों से बेहतर शिक्षा से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है।

कोर्ट में कहा- प्रशासनिक स्थिति ही बदली, पता नहीं

अनुकल्प ने पिता अजय कुमार गुप्ता के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई। बताया कि उसने ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से पढ़ाई की है, स्कूल की सिर्फ प्रशासनिक स्थिति बदली है। न तो स्कूल का पता बदला है और न ही उनके घर का। ऐसे में प्रवेश देने से इन्कार करना शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है।